छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

!! आदेश !!

क्रमांक.....15...../2018 दिनांक09/07/2018

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में दर्ज प्रकरणों का निराकरण करने बाबत्।

संदर्भः- 1. मुख्यालय का आदेश कमांक 123 दिनांक 22.05.2017 (सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति संबंधी)
2. मुख्यालय का आदेश कमांक 10 दिनांक 25.06.2018
3. मुख्यालय का आदेश कमांक 12 दिनांक 25.06.2018

--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की संपत्तियों के किश्त/किराया समय पर जमा नहीं करने पर बकाया राशि वसूलने तथा निष्कासन की कार्यवाही हेतु निचे दर्शाये गये क्षेत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :-

क्र.	प्राधिकृत अधिकारी	क्षेत्र (राजस्व जिला)
1	2	3
1.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-रायपुर मुख्यालय।	जिला-रायपुर, भाटापारा-बलौदाबाजार
2.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-नया रायपुर।	जिला-रायपुर, गरियाबंध, महासमुन्द, धमतरी
3.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-दुर्ग	जिला-दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम (कवर्धा), बालोद, राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर सुकमा एवं कोण्डागांव
4.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-बिलासपुर	जिला-बिलासपुर,जांजगीर-चांपा,रायगढ़,कोरबा,सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली एवं जशपुर।

वर्तमान में संदर्भित मुख्यालय के आदेश कमांक 10 दिनांक 25.06.2018 द्वारा जारी आदेशानुसार स्ववित्तीय योजनांतर्गत आबंटित एल.आई.जी. तथा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के बकायादारों द्वारा संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त (One Time Settlement) दिनांक 31.08.2018 तक जमा करने पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। उसी प्रकार मुख्यालय के आदेश कमांक 12 दिनांक 25.06.2018 द्वारा जारी आदेशानुसार भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित एल.आई.जी. तथा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के बकायादारों द्वारा संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त (One Time Settlement) दिनांक 31.08.2018 तक जमा करने पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

अतः सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में बकाया राशि वसूली हेतु दर्ज प्रकरण के आबंटियों को बकाया राशि जमा करने हेतु संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के विविध

कमशः-02

प्रक्षेत्र कार्यालयों द्वारा बकाया राशि उपरोक्तानुसार छूट प्रदान किये जाने की सूचना जारी किया जावें एवं बकायादारों को छूट प्रदान कर संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराकर सक्षम न्यायालय में दर्ज किये गये प्रकरणों को निराकृत किये जाने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी/संपदा अधिकारी द्वारा किया जावें तथा कि गई कार्यवाही की जानकारी मुख्यालय को समय-समय पर दी जावें।

यह आदेश तुरंत प्रभावशील है।

09.07.18

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र. 1588 /सं.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या/फा.नं.-356/18 नया रायपुर, दिनांक 09/07/2018

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, कमांक 01(J)/ 02(V)/ 03(P) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नयारायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/ अंबिकापुर।
9. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि. संभाग-1,2,रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/ महासमुन्द/ जगदलपुर/ कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
12. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा /बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
14. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

09.07.18

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर